Regarding relief package for Shravasti and Balrampur due to loss by flood

श्री राम शिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) **:** अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल में लोक महत्व के अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद!

महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती और जनपद बलरामपुर अति पिछड़े आकांक्षी जिलों के अंतर्गत आता है । ये दोनों जिले नेपाल से सटे तराई क्षेत्रों में राप्ती नदी के किनारे बसे हैं । जिसमें लगभग हर साल भीषण बाढ़ आती है और लोगों को भारी जान-माल का नुकसान होता है ।

महोदय, अभी 15-20 दिन पहले ही मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती और जनपद बलरामपुर में राप्ती नदी में आई बाढ़ ने जिस तरीके से भीषण तबाही मचाई है । किसानों की सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं । बड़ी-बड़ी सड़कें कट कर पानी में बह गयी हैं । जगह-जगह बंधे टूट गए हैं । कितनों के घर बाढ़ के पानी में बह गए हैं और कई लोगों की जानें भी चली गई हैं ।

<u>20.22 hrs</u>

(Shrimati Sandhya Ray *in the Chair)*

महोदया, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहाँ पर जो किट उपलब्ध कराया गया है उसका भी वितरण अभी तक सभी जरूरतमंद पात्र लोगों तक नहीं पहुँच पाया है । केवल कुछ लोगों को ही अभी तक मिल पाया है अभी भी तमाम ग्राम सभा ऐसी हैं जिनको पात्र होने के बावजूद भी अभी तक राहत सामाग्री किट नहीं मिल पाई है ।

महोदया, सरकार द्वारा राप्ती नदी के किनारे दोनों तरफ बंधे बनाए जाने चाहिए जिससे राप्ती नदी के किनारे जो गाँव बसे हैं उनको बाढ़ से बचाया जा सके । साथ ही हमारे लोक सभा क्षेत्र श्रावस्ती और जनपद बलरामपुर के लिए अलग से राहत पैकेज दिया जाना चाहिए, जिससे क्षेत्र की जनता, गरीब मजदूर, किसान, और आम जनमानस और बाढ़ से पीड़ित लोगों के हुए नुकसान की भरपाई की जा सके । साथ ही, भारत सरकार द्वारा एक टीम बनाकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कराकर श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर और अन्य सभी जिले जो राप्ती नदी के किनारे बसे हैं जिनका बाढ़ के कारण भारी जान-माल का नुकसान हुआ है उनको उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए और बाढ़ के कारण जिन लोगों की जान चली गई है उनके परिवार को कम से कम 20-20 लाख रुपये सहायता राशि के रूप में दी जानी चाहिए । धन्यवाद!

माननीय सभापति **:** मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करती हूं कि एक से दो मिनट में अपनी बात रखें । काफी सांसदों के नाम बोलने के लिए हैं और इससे अधिक सांसद बोल पाएंगे ।